न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर लालसोट जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी :– बीना महावर, आर.ए.एस.
अति0 जिला कलक्टर, लालसोट

मुकदमा नंबर :– नया नंबर 02/2023

रजु दिनांकः :– 27.09.2023

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील लालसोट

प्रार्थी

बनाम

1.श्रीदास चेला श्यामदास कौम ब्राह्मण सा0 ग्राम बगडी तहसील लालसोट (फोत)
1/1 गोरधनदास पुत्र स्व. श्रीदास (फोत)
1/2 रामप्यारी देवी पत्नी स्व0 श्रीदास (फोत)
1/3 धापा देवी पुत्री स्व0 श्रीदास (फोत)
1/4 दाखा देवी पुत्री स्व0 श्रीदास (फोत)

अप्रार्थीगण

निर्णय – रेफरेंस

उपस्थितः–
सरकार की ओर से – पैरोकार सरकार
अप्रार्थीगण की तरफ से– कोई उप0 नही है।

निर्णय दिनांकः 21-2-24

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार लालसोट द्वारा दिनांक 20.07.2012 को इस न्यायालय के पत्र क्रमांक/2012/893 दिनांक 13.07.2012 की पालना में यह रेफरेन्स प्रकरण 02 प्रतियों में इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है जो इस प्रकार है कि खाता संख्या 292 में वर्णित आराजी खसरा नंबर 720, 718, 721, 722, 733, 734, 735 कुल किता 07 कुल रकबा 08 बीघा 16 बिस्वा ग्राम बगडी तह0 लालसोट जिला दौसा में स्थित है। उक्त भूमि मंदिर श्री रघुनाथ जी की माफी में दर्ज रिकॉर्ड थी। बरवक्त एकीकरण सम्वत 2018 में चक बन्दी रजिस्टर में उक्त भूमि के नए नम्बर 271, 272 बनाए जाकर उक्त भूमि को पुनः मंदिर श्री रघुनाथ जी की माफी में दर्ज किया गया। इस भूमि को मंदिर श्री रघुनाथ जी की बजाय श्रीदास चेला श्यामदास के नाम खातेदारी में दर्ज कर दिया गया। इस भूमि ख0नं0 271, 272 वर्तमान में जमाबंदी संवत् 2063–66 में श्रीदास चेला श्यामदास नि0 बगडी की खातेदारी में दर्ज है। मिसल हकीयत संवत् 200[illegible] चकबंदी रजिस्टर संवत 2003 जमाबंदी संवत 2019 से 2058 की नकले प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि [illegible] भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के तहत राजस्व मण्डल अ[illegible] नं0 271, 272 किता 02 कुल रकबा 08 बीघा 18 बिस्वा भूमि को मंदिर श्री रघुनाथ जी ग्राम बगडी के नाम दर्ज किया जावे। अभिलेख शुद्ध किया जावे। तहसील[illegible]र लालसोट द्वारा इस [illegible] के समर्थन में खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2009 से 2022, एकीकरण रजिस्टर संवत् 20[illegible], मिलान क्षेत्रफल, वर्तमान जमाबंदी की प्रति पेश की।

अति. जिला कलक्टर लालसोट (दौसा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Beena Mahawar
Date: 2024.03.05 17:48:23 IST
Reason: SelfAttested

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र दिनांक 23.07.2012 को दर्ज किया जाकर अप्रार्थी की तलवी की गई। दिनांक 31.05.2013 को घासीलाल पुत्र गोरधन दास द्वारा जरिये अधिवक्ता एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की अप्रार्थी श्रीदास, की मृत्यु दिनांक 14.05.1979 को हो चुकी है। श्रीदास की पत्नी रामप्यारी की भी मृत्यु 16.10.1975 को हो चुकी है। श्रीदास के पुत्र गोरधन दास की मृत्यु 21.01.2013 को हो चुकी है तथा श्रीदास की पुत्री धापा देवी दिनांक 16.10.1997 को हो चुकी है। धापा देवी के पति नंदलाल की मृत्यु दिनांक 28.06.1966 को हो चुकी है। तहसीलदार लालसोट के द्वारा मृत व्यक्ति के विरुद्ध प्रार्थना पत्र पेश किया है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करके प्रकरण का निस्तारण किया जाये।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार लालसोट के द्वारा यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अप्रार्थी श्रीदास चेला श्याम दास कौम ब्राह्मण के विरुद्ध पेश किया गया है। पत्रावली में प्रस्तुत सजरा प्रमाण पत्र दिनांक 11.10.2012 सरपंच ग्राम पंचायत कोलीवाडा एवं छायाप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 09.09.2010 के अवलोकन से अप्रार्थी श्रीदास चेला श्यामदास की मृत्यु दिनांक 14.05.1979 को होना स्पष्ट होता है। पत्रावली में उपलब्ध छायाप्रतियां मृत्यु प्रमाण पत्र गोरधनदास पुत्र श्रीदास, रामप्यारी पत्नी श्रीदास, धापादेवी पुत्री श्रीदास की मृत्यु होना जाहिर होता है। इस प्रकार पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वक्त दायरी प्रार्थना पत्र अप्रार्थी श्रीदास चेला श्यामदास की मृत्यु हो चुकी थी। अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा अपने समर्थन में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2016 पेज 1204–1205 में मा0 राजस्व मण्डल द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मृत व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद कारण उत्पन्न नही होता है। "suit filed against a dead person is a nullity & if an action is void ab initio then it can not be survived by moving an application under O22R4 CPC"

उपर्युक्त समस्त तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र मृत व्यक्ति के विरुद्ध प्रस्तुत किये जाने के कारण खारिज किया जाता है एवं तहसीलदार लालसोट को निर्देश दिए जाते है कि वह पुनः अप्रार्थी के वारिसान के संबंध में जांच करे एवं मौके पर कब्जे की जांच कर संबंधित को आवश्यक पक्षकार बनाते हुए पुनः 01 माह की अवधि में रेफरेन्स प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो। तहसीलदार लालसोट को निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक ......2.4... को सरे ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Beena Mahawar
Date: 2024.03.05 17:48:23 IST
Reason: SelfAttested

बीना महावर आरएएस
अतिरिक्त जिला कलक्टर, लालसोट